न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–35/2016 राजस्व वाद

उनवान

1. प्रेम पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी श्याम सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल बिगोद तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. हजना पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी भगवान लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल कल्याणपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र होकमा दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देउ पत्नी रामेश्वर दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीता पत्नी स्व0 रामा दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (डिलीट)
4. गीता पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी भुवाना दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5. भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (डिलीट)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्थी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता वादी श्री उदयसिंह चारण
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 04 अधिवक्ता मो0 सलीम अंसारी।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13/02/2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार द्वारा दिनांक 10.06.2016 को अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को रजिस्टर क्रम संख्या 35/2016 पर दर्ज किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि :– वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के परिवार का पारीवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

13/02/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

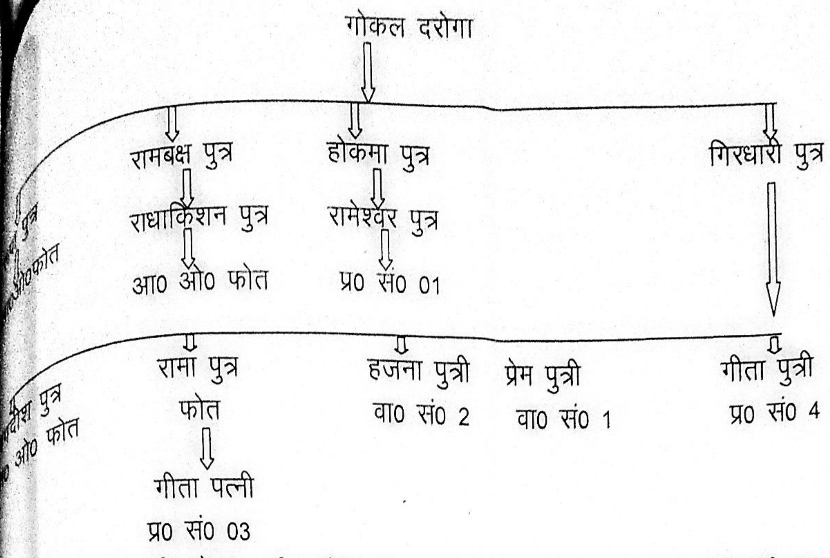

श्री गोकल जी दरोगा के 4 पुत्र रूपा, रामबक्ष, होकमा, गिरधारी हुए जिसमें पा लाऔलाद फोत हुए व रामबक्ष के पुत्र रामकिशन हुआ, जो लाऔलाद फोत हो गया व होकमा एक पुत्र रामेश्वर प्रतिवादी संख्या 01 है व गिरधारी जी के 2 पुत्र जगदीश, रामा व 3 पुत्रियां जना, प्रेम, गीता है। जगदीश लाऔलाद फोत हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 रधारी जी की पुत्रियां व पुत्र रामा का देहान्त हो चुका, जिसके पत्नी गीता प्रतिवादीया संख्या 03 वादीगण गोकल जी के पौत्र पौत्री होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि ग्राम कोचरिया पटवार हल्का कोचरिया भू–अभिलेख निरीक्षक त्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा 117 में आराजी संख्या 154 लगायत 163, 165 लगायत 174 वं 1500/169 कुल किता 21 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा है। वादग्रस्त भूमि जमाबंदी संवत 033 से 2036 की जमाबंदी मे वादीगण के पिता गिरधारी पुत्र श्री गोकल व उनके भाईयों के नाम र दर्ज है। जिसमे वादीगण के पिता गिरधारी का 1/3 हक हिस्सा निहित है।

वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 04 गिरधारी जी की जायन्दा पुत्रीया होकर प्रथम णी की विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है व ग्राम कोचरिया पटवार हल्का कोचरिया भू–अभिलेख रीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा 117 में आराजी संख्या 154 लगायत 163, 165 गायत 174 एवं 1500/169 कुल किता 21 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में पारीवारिक सजरे सार वादीगण का 2/15 हक व प्रतिवादी संख्या 04 का 1/15 हिस्सा निहित होकर अपने हक स्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

दिनांक 05 फरवरी 2016 को प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 मोके पर आये व दीगण को जबरन बेदखल करने की कोशिश की, इस पर वादीगण ने कहा कि उक्त आराजियात दीगण के पिता गिरधारी जी की होकर वादीगण की पैतृक आराजियात है, जिसमे बेदखल करने प्रवितादीगण को कोई अधिकार नही है, इस पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 ने कहा कि दीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से प्रतिवादी संख्या 03 के पति रामा व जगदीश प्रतिवादी संख्या 01 के पिता होकमा को जमीन बैच दी व उनके नाम पर दर्ज है। इस कारण से म्हे बेदखल करके रहूंगा। इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी ई कि वादीगण के पिता गिरधारी जी के देहान्त उपरान्त प्रतिवादी संख्या 03 के पति रामा व गदीश जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 04 के भाई है, ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत र वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 04 जो कि गिरधारी जी की जायन्दा पुत्रीया होने के बावजूद भी ादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 04 का नाम दर्ज नही होने दिया व इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 03 े पति रामा व जगदीश ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 04 का हक हिस्सा होते हुए भी अवैध तकाल के आधार पर दर्ज हुए इन्द्राज का फायदा उठा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता होकमा पुत्र ी गोकल दरोगा को वादग्रस्त भूमि दिनांक 23 जून 1986 को विक्रय कर दी, जो विधि विरुद्ध है। ादीगण एवं प्रतिवादीया संख्या 04 भी प्रतिवादीगण के साथ अपना नाम दर्ज करवाने की धिकारीणी है।

13/2/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 की पैतृक आराजियात होने से एवं प्रतिवादी संख्या 04 का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादग्रस्त भूमि में हक सजरे अनुसार वादीगण का 2/15 व प्रतिवादी संख्या 04 का 1/15 हक हिस्सा निहित प्रतिवादी संख्या 01 के पिता होकमा पुत्र श्री गोकुल दरोगा के पक्ष मे दिनांक 23 जून 1986 हक हिस्से से भी अधिक किया गया विक्रयपत्र वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 04 के शुरू से ही शून्य, बेअसर, निष्प्रभावी होकर (नल एण्ड वोईड) है तथा वादीगण राजस्व इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजियात मे वादीगण का 2/15 व प्रतिवादी संख्या 04 का हक हिस्से की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने व अपना नाम दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने की अधिकारीणी है, तदनुसार घोषणात्मक डिकी हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से दिनांक 23.08.2016 को अधिवक्ता श्री मनोज कुमावत एवं दूधाराम कुमावत की और से वकालतनामा पेश किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 06.06.2017 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वंय उपस्थित हुयें। दिनांक 28.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 04 स्वंय उपस्थित हुई। दिनांक 31.03.2023 को वादीगण की और से श्री उदयसिंह चारण अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 18.12.2024 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु होने तथा कोई वारिस नहीं होने से नाम विलोपित करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। साथ ही अद्यतन राजस्व रेकार्ड पेश कर वादग्रस्त भूमि अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडरमाला का रहन दर्ज नहीं होने से नाम विलोपित करने बाबत् पेश किया गया जिस पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में भूमि रहन दर्ज नहीं होने से नाम विलोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 18.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। दिनांक 07.01.2025 को वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 03 का नाम विलोपित करने हेतु सुना गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के अनय कोई वारिस शेष नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 03 का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया तथा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को न्यायहित में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को दिनांक 16.01.2025 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु ... /- कोस्ट पर अवसर दिया गया। दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादीया संख्या 02 का नाम टंकणीय त्रुटि होने से आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया तथा साक्ष्यवादी में वादीया संख्या 01 प्रेम पुत्री गिरधारी (पीडब्ल्यू 01) तथा वादीया संख्या 02 हजना पुत्री गिरधारी (पीडब्ल्यू 02) के बयान दर्ज कराये गये।

वादीया संख्या 01 प्रेम पुत्री गिरधारी (पीडब्ल्यू 01) द्वारा बयान में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 प्रदर्श 02, नामान्तकरण संख्या 70 प्रदर्श – 03, जमाबन्दी सवंत् 2023–26 प्रदर्श – 04, जमाबन्दी सवंत् 2046–49 प्रदर्श– 05, विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1986 प्रदर्श– 06 द्वारा तथा वादीया संख्या 02 हजना पुत्री गिरधारी (पीडब्ल्यू–02) द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2036–40 प्रदर्श– 07 एवं जमाबनदी सम्वत् 2020–23 प्रदर्श–08 द्वारा साक्ष्यस्वरूप पेश कराये गयें। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से जिरह बंद की गई। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की तलबी पेश कर प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के फोरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का जवाब बंद किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने तथा प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन करने पर पत्रावली में साक्ष्यवादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर वास्तें बहस हेतु नियत की गई।

13/02/2025

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कोचरिया के खसरा नम्बर 154 से लगायत 163, 165 से लगायत 174 तथा 1500/169 कुल किता 21 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पैतृक आराजियात होर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 का प्रत्येक का 1/15 हक हिस्सा जन्म से ही वादग्रस्त भूमि में निहित था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के भाई जगदीश पुत्र गिरधारी व रामा पुत्र गिरधारी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर उनके पिता के स्वर्गवास उपरान्त उनके हक हिस्से की भूमि भी अपने नाम दर्ज करा ली तथा दिनांक 23.06.1986 को पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता को विक्रय कर दी जो बाद में जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई। चूंकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 का जन्म से ही हक हिस्सा नियत था।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के भाई जगदीश पुत्र गिरधारी एवं रामा पुत्र गिरधारी द्वारा दिनांक 23.06.1986 को किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र उनके हक हिस्से के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में दर्ज हिस्से में वादीगण का 2/15 एवं प्रतिवादी संख्या 04 का 1/15 हिस्सा दर्ज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुये निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा उनके भाईयों के नाम दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध था। अतः वादग्रस्त भूमि के पैतृक आराजियात होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पिता की मृत्यु उपरान्त उनका प्रत्येक का 1/15 हिस्सा बनता है। जिसे दर्ज किये जाने एवं उन्हे खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश जारी किया जावें।

पत्रावली में उभयपक्षकरान अधिवक्ता की बहस का मनन एंव चिंतन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन एंव चिंतन तथा पत्रावली के अवलोकन उपरान्त प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के पिता की मृत्यु उपरान्त दर्ज नामान्तकरण संख्या 70 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 का नाम दर्ज होना चाहिये था तथा प्रत्येक को 1/15 हक हिस्से का अधिकार वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही प्राप्त था। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 को प्रदत्त नहीं किया गया है। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के आई जगदीश पिता गिरधारी एवं रामा पुत्र गिरधारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रामेश्वर पुत्र होकमा के पिता होकमा पुत्र गोकल के पक्ष में किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1986 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 04 के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वदीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम कोचरिया की आराजी नम्बर 154 लगायत 163, 165 लगायत 174 तथा 1500/169 कुल किता 21 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/15 हक हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 04 को 1/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 घोषित किया जाता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1986 को वादीगण प्रत्येक के 1/15 हक हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 04 के 1/15 हक हिस्से तक शून्य घोषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिकी पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

13/02/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

उनवान

1. प्रेम पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी श्याम सिंह दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल बिगोद तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. हजना पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी भगवान लाल दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल कल्याणपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र होकमा दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देउ पत्नी रामेश्वर दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीता पत्नी स्व0 रामा दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (डिलीट)
4. गीता पुत्री स्व0 गिरधारी दरोगा पत्नी भुवाना दरोगा आयु वयस्क निवासी कोचरिया हाल हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (डिलीट)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तग्रत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्थी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 35/2016 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री उदयसिंह चारण, उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 13/02/2025 2025 को पीठासीन अधिकारी अ रूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम कोचरिया की आराजी नम्बर 154 लगायत 163, 165 लगायत 174 तथा 1500/169 कुल किता 21 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/15 हक हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 04 को 1/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 घोषित किया जाता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1986 को वादीगण प्रत्येक के 1/15 हक हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 04 के 1/15 हक हिस्से तक शून्य घोषित किया जाता है।

13/02/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा